

द्वितीय आपदा के कार्यों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31.03.2014 तक हुए व्यय का विवरण।

क. सं.	शासनादेश संख्या	मद का नाम	मुख्यमंत्री राहत कोष से आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	कॉलम-4 के सापेक्ष लाभार्थियों का विवरण नाम सहित
1	2	3	4	5	6
1.	डी-114/XXXI-14 /2013-14 दिनांक 03 जुलाई, 2013	मुख्यमंत्री राहत कोष	25,00,000.00	25,00,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>राज्य सरकार की भूमि पर बने पक्के आवासीय मकान के क्षतिग्रस्त होने पर श्री उत्तमराम पुत्र श्री धरमराम ग्राम बमसेरा तहसील कपकोट को ₹0 1,00,000.00 तथा श्री प्रतापराम पुत्र श्री खीमराम ग्राम बमसेरा तहसील कपकोट को ₹0 1,00,000.00</li> <li>आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खच्चरों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न ढुलान पर ₹0 3,19,283.00 व्यय।</li> <li>तहसील कपकोट अन्तर्गत पिण्डारी न्लेशियर मार्ग के स्थान द्वाराती में फंसे 43 पर्यटकों तथा सुन्ददुंगा मार्ग में स्थान कवलिया में फंसे 04 पर्यटकों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार उन स्थानों से उनके निवास स्थानों पर पहुँचने हेतु ₹0 2,000.00 प्रति पर्यटक की दर से कुल 47 पर्यटकों को ₹0 94,000.00 की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी गयी है क्योंकि उक्त सभी पर्यटक दिनांक 22.06.2013 को अपने घरों को चले गये थे। पर्यटकों की सूची संलग्न की जा रही है।</li> <li>आपदा प्रभावित ग्रामों में राहत सामग्री वितरण हेतु कय की गयी खाद्यान्न सामग्री एवं मोटर मार्ग तक वाहनों के माध्यम से पहुँचायी गयी सामग्री पर ₹0 3,51,922.00 की धनराशि व्यय की गयी है।</li> <li>आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हैलीकाप्टर के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाने पर आयु हैलीकाप्टर के समस्त स्टाफ के रहने एवं खाने के देयकों का भुगतान हेतु ₹0 2,29,812.00 की धनराशि व्यय की गयी है।</li> <li>आपदा के दौरान पिण्डारी न्लेशियर एवं सुन्दरदुंगा न्लेशियर में फंसे पर्यटकों को निकालने हेतु सेना एवं पर्यटकों के भोजन पर ₹0 25,696.00 की धनराशि व्यय की गयी है।</li> </ol>

(2)

1	2	3	4	5	6
1					
2.	161 / XXXI*14 / 20 13-14 दिनांक जुलाई 2013	मुख्यमंत्री राहत कोष	25,00,000.00	21,83,745.00	<p>6. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरण हेतु तत्कालीन उप जिलाधिकारी, गरुड द्वारा मजदूरों को दी गयी मजदूरी पर रू0 8,000.00 की धनराशि व्यय की गयी है।</p> <p>7. दैवी आपदा प्रभावित बेघर परिवारों के लिए बनाये जा रहे Pre-Fabricated Huts हेतु स्थल विकास के लिए अधिशासी अभियन्ता, सिंवाई खण्ड बागेश्वर को रू0 1,00,000.00 अवमुक्त।</p> <p>9. दैवी आपदा से बेघर हुए परिवारों को मासिक किराया हेतु रू0 11,71,287.00 की धनराशि वितरित की गयी है, लाभार्थियों की सूची संलग्न है।</p> <p>1. दैवी आपदा से बेघर हुए परिवारों को मासिक किराया हेतु रू0 28,713.00 की धनराशि वितरित की गयी है, लाभार्थियों की सूची संलग्न है।</p> <p>2. आपदा प्रभावित ग्रामों में मोटर मार्ग तक वाहनों के माध्यम से खाद्यान्न पहुँचाये जाने हेतु वाहनों को उपलब्ध कराये गये ईंधन के बिलों पर रू0 1,82,190.00 की धनराशि व्यय।</p> <p>3. आपदा प्रभावित ग्रामों में खच्चरों के माध्यम से दुलान किये गये निःशुल्क खाद्यान्न हेतु रू0 5,96,033.00 की धनराशि का भुगतान।</p> <p>4. आपदा प्रभावित ग्रामों में निःशुल्क खाद्यान्न एवं राहत सामग्री वितरण हेतु वाहनों के माध्यम से स्थान डिग्री कालेज बागेश्वर से सौंग तक पहुँचायी गयी राहत सामग्री के देयकों का रू0 86,688.00 की धनराशि का भुगतान।</p> <p>5. जनपद देहरादून से जनपद बागेश्वर को राहत सामग्री ला रहे वाहनों को उप जिलाधिकारी, भिकियासैण द्वारा उपलब्ध कराये गये ईंधन के देयक रू0 15,740.00 की धनराशि का भुगतान।</p> <p>6. आपदा प्रभावित ग्रामों में वाहनों के माध्यम से भेजी गयी राहत सामग्री / खाद्यान्न को वाहनों में उतारने एवं चढ़ाने हेतु लगाये गये मजदूरों की मजदूरी रू0 24,600.00 की धनराशि का भुगतान।</p> <p>7. दैवी आपदा से बेघर हुए परिवारों को मासिक किराया हेतु रू0 83,300.00 की धनराशि वितरित की गयी है, लाभार्थियों की सूची संलग्न है।</p>

1	2	3	4	5	6
					8. आपदा प्रभावित ग्रामों में हैलीकाप्टर के माध्यम से पहुँचायी गयी खाद्यान्न एवं राहत सामग्री के दौरान हैलीकाप्टरों हेतु प्राप्त ईंधन (ए0टी0एफ0) के खाली बैरलों का अवशेष ईंधन (ए0टी0एफ0) के बैरलों को वापस देहरादून पहुँचाने हेतु ट्रक का किराया व ट्रक को उपलब्ध कराये गये ईंधन के देयकों रू0 18,000.00 की धनराशि का भुगतान।
					9. साधारण किस्म के 02 ढाबे क्षतिग्रस्त होने पर 02 प्रभावित परिवारों को वार्षिक क्षति के अनुसार रू 30,000.00 की धनराशि का भुगतान।
					10. आपदा प्रभावित ग्रामों में खच्चरों के माध्यम से दुलान किये गये निःशुल्क खाद्यान्न हेतु रू0 5,19,030.00 की धनराशि का भुगतान।
					11. वर्ष 2013-14 में भूस्खलन, नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि क्षति होने पर प्रभावित कास्तकारों को रू0 5,86,031.00 की राहत सहायता का वितरण।
					12. आपदा प्रभावित क्षेत्र कुँवारी खार्डबगड में करायी गयी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के देयक रू0 13,420.00 का भुगतान।
3.	319 / XXXI-14 / 2013 दिनांक 19 सितम्बर, 2013	मुख्यामंत्री राहत कोष	25,00,000.00	25,00,000.00	1. 15-16 जून, 2013 को हुई अत्यधिक वर्षा के कारण भूस्खलन होने पर आवासीय मकान खतरे की जद में आने के कारण 64 प्रभावित परिवारों हेतु सुरक्षित स्थलों पर Pre-Fabricated Huts बनाये जाने हेतु 03 स्थानों पर स्थल विकास के लिए अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट को रू0 20,00,000.00, चयनित स्थलों पर पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान बागेश्वर को रू0 3,00,000.00 तथा परियोजनाधिकारी, उरेडा बागेश्वर को चयनित स्थानों पर विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु रू0 2,00,000.00 इस प्रकार कुल रू0 25,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है।
4.	1027 / XXXI-14 / 2013 दिनांक 22 जनवरी, 2014	मुख्यामंत्री राहत कोष	1,40,000.00	1,40,000.00	वर्ष 2013-14 की आपदा के कारण बेघर परिवारों को शीतकाल में ऊनी वस्त्र कय किये जाने हेतु रू0 5,000.00 प्रति परिवार की दर से 28 परिवारों को वितरित किये जाने हेतु। (तहसीदार बागेश्वर को 05 परिवारों हेतु रू0 25,000.00, तहसीलदार कपकोट को 08 परिवारों हेतु रू0 40,000.00, तहसीलदार गरूड को 13 परिवारों हेतु रू0 65,000.00 तथा तहसीलदार काण्डा को 02 परिवारों हेतु रू0 10,000.00 इस प्रकार कुल 28 परिवारों हेतु रू0 1,40,000.00 की धनराशि वितरित की गयी।)

1	2	3	4	5	6
5.	1121 / XXXI-14 / 2013 दिनांक 22 फरवरी, 2014	मुख्यमंत्री राहत कोष	60,963.00	60,963.00	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 25 परिवार जिनके आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गये है तथा 01 परिवार के वयस्क सदस्य की मृत्यु आपदा में हुई हो, ऐसे परिवार के 46 प्रभावित विद्यार्थियों के 01 वर्ष के शिक्षण शुल्क रु0 60,963.00 का भुगतान।
		योग:-	77,00,963.00	73,84,708.00	

अपर जिलाधिकारी,  
बागेश्वर।